

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एम०पी० मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल  
कन्दवाँ, चितईपुर, वाराणसी।

पत्रांक: /मान्यता/4616-17 /2012-2013

दिनांक : 28-7-12

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-10-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं एम०पी० मेमोरियल स्कूल एण्ड हास्टल, कन्दवाँ, चितईपुर, वाराणसी को तारीख 01-07-2012 से तारीख 30-06-2015 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये, अनन्तम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

f

क्रमशः पेज.....2

(2)


- (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 10744 वर्गफिट
  - कुल निर्मित क्षेत्र- 1618 वर्गफिट
  - क्रीडास्थल का क्षेत्रफल- पर्याप्त
  - कक्षाओं की संख्या- 05
  - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा- 01
  - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय- उपलब्ध
  - पेयजल सुविधा- उपलब्ध
  - मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई- - -
  - बाधा रहित पहुँच- है
  - अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

क्रमशः पेज.....3

(3)

- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायं।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय


  
(परमहंस सिंह यादव)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी। 28/07/12

पृ०सं०: /मान्यता/

/2012-2013

उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : खण्ड शिक्षा अधिकारी, काशीविद्यापीठ, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(परमहंस सिंह यादव)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सम्पूर्ण मेमोरियल (2008-09)  
(चित ईष्ट - कदवा, वाराणसी)

पत्रांक: /मान्यता/1008-09/2003-2004

दिनांक: 23-5-, 2003

विषय : जूनियर हाईस्कूल अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 646/15-6-97-18 एस (7)/89 दिनांक: 13 अगस्त, 1997 के प्राविधानान्तर्गत मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक) स्तर तक अस्थायी मान्यता, आदेश निर्गत होने की तिथि से निर्गत की जाती है। स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार किया जायेगा, जब नियमानुसार विद्यालय स्थायी मान्यता की शर्तों को पूरा करेगा।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में निहित निर्देशानुसार विद्यालय में निम्नांकित शिक्षक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं, जिसके सापेक्ष नियमानुसार चयन के माध्यम से नियुक्ति कर इस कार्यालय से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना वैधानिक होगा।

1- प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	:	1	(एक)
2- सहायक अध्यापक/अध्यापिका	:	4	(चार) (जिसमें एक विज्ञान / गणित एवं भाषा का होगा)
3- लिपिक	:	1	(एक)
4- परिचारक	:	1	(एक)
कुल	:	7	(सात)

शासकीय एवं विभागीय निर्देशों के उल्लंघन करने तथा मान्यता सम्बन्धी कोई भी सूचना/तथ्य छिपाये जाने अथवा असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता तत्काल प्रत्याहरित कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाधिकारी का होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

पृ०सं०: /मान्यता/1008-09 /2003-2004

प्रतिलिपि : मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी  
उसी तिथि को।

की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

वाराणसी।